न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

मु0सं0–1002/2019
सरकार बनाम संतोष अग्रवाल

13.07.2019

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त संतोष अग्रवाल ने स्वेचछा से जुर्म को स्वीकार लिया है और उसकी स्वीकारोक्ति पर उसे धारा वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की स्थिति व तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को 100/–रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त दो दिन का कारावास भुगतेगा।

सी0जे0एम0
चित्रकूट